रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-602/2023/1858/22-2-2023-17(745)/2023

लखनऊ:दिनांक-20 अक्टूबर, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आकिल (बन्दी संख्या-12859) पुत्र श्री फारूख, निवासी ग्राम-जिसोरी, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-241/1989 में भा0द0वि0 की धारा-307/149,302/149,148,449 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 28.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 12-12-2022 तक 18 वर्ष, 02 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 09 माह की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं आयु 80 वर्ष 07 माह होने तथा अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-602/2023/1858(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-320/2023 फुजी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 के सन्दर्भ में।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।